न्यायालय, कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

पीठासीन अधिकारी अभिजीत सिंह

रा.प्र.क्र. 202308140100042/अ-20(3)/2022-23

वनमण्डलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर
वनमण्डल भानुप्रतापपुर

आवेदक

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ शासन

आदेश

(दिनांक 17/01/2024)

वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/4573 दिनांक 18.08.2023 के अनुसार 132/33 के.व्ही. सब स्टेशन स्थापना हेतु 3.24 हेक्टेयर भूमि तहसील केशकाल जिला कोण्डागांव में प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर के पत्र दिनंक 03.07.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अधिरोपित शर्त के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु तहसील दुर्गूकोन्दल ग्राम गोटुलमुण्डा पटवारी हल्का नंबर 04 तहसील दुर्गूकोन्दल में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 92 रकबा 18.72 हेक्टेयर में से 3.24 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण करने मांग किये जाने पर प्रकरण में तहसीलदार दुर्गूकोन्दल से जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर के माध्यम से प्राप्त किया गया है ।

2 प्रकरण में तहसीलदार दुर्गूकोन्दल ने आवेदित भूमि वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर को हस्तांतरण करने के संबंध में दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं बस्तर इम्पेक्ट में दिनांक 07.09.2023 को ईश्तहार का प्रकाशन कराया है, प्रकाशन उपरांत समयावधि के भीतर किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में तहसीलदार दुर्गूकोन्दल ने ग्राम पंचायत सिवनी के आश्रित ग्राम गोटुलमुण्डा स्थित भूमि खसरा नंबर 92 में से रकबा 3.24 हेक्टेयर चरागन मद की शासकीय भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आबंटित करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1504/तह./वाचक/2023 दुर्गूकोन्दल, दिनांक 04.09.2023 के अनुसार विभिन्न विभागों को पत्र लिखकर

D:/Str/Reader/Land Allotment.Doc

आवेदित शासकीय भूमि को आबंटन किये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र आपत्ति यदि कोई हो तो, अभिमत सहित आहूत किया गया है। तत्संबंध में समस्त विभागों खनिज अधिकारी कांकेर, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कांकेर, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भ/स) भानुप्रतापपुर, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन भानुप्रतापपुर, अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाये भानुप्रतापपुर, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दुर्गूकोन्दल, अनुविभागीय अधिकारी पी.एम.जी.एस.वाय. दुर्गूकोन्दल, खण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्गूकोन्दल, खण्ड चिकित्सा अधिकारी दुर्गूकोन्दल, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्गूकोन्दल एवं सरपंच ग्राम पंचायत सिवनी द्वारा आवेदित भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आबंटित करने अपना सहमति प्रदान किया गया है। प्रकरण में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मय पंचनामा प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार उक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 92 रकबा 18.27 हेक्टेयर में से रकबा 3.24 हेक्टेयर भूमि शासकीय चरागन मद की भूमि है। उक्त भूमि को मिसल बन्दोबस्त ग्राम गोटुलमुण्डा वर्ष 1987–88 के प्रारूप "क" के अनुसार चारे के लिए सुरक्षित रखा गया है। उक्त भूमि को ग्राम सभा प्रस्ताव द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में ग्राम पंचायत सिवनी द्वारा प्रस्ताव/सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि आश्रित ग्राम गोटुलमुण्डा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 92 में से रकबा 3.24 हेक्टेयर में वैकल्पिक वृक्षारोपण करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम गोटुलमुण्डा पटवारी हल्का नंबर 04 में स्थित भूमि खसरा नंबर 92 में से रकबा 3.24 हेक्टेयर घास मद की भूमि को ग्रामवासीगण गोटुलमुण्डा की उक्त भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरण करने में ग्राम पंचायत सिवनी द्वारा सहमति प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः तहसीलदार दुर्गूकोन्दल ने ग्राम गोटुलमुण्डा पटवारी हल्का नंबर 04 तहसील दुर्गूकोन्दल की शासकीय चरागन मद की भूमि खसरा नंबर 92 में से 3.24 हेक्टेयर भूमि को आवेदक वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित करते हुए प्रकरण अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर ने तहसीलदार दुर्गूकोन्दल

कार्यालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम गोटुलमुण्डा पटवारी हल्का नंबर 04 तहसील दुर्गूकोन्दल की शासकीय चरागन मद की भूमि खसरा नंबर 92 में से 3.24 हेक्टेयर भूमि को आवेदक वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रतिवेदित करते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया है।

3 प्रकरण में ग्राम गोटुलमुण्डा पटवारी हल्का नंबर 04 तहसील दुर्गूकोन्दल में स्थित खसरा नंबर 92 में से 3.24 हेक्टेयर भूमि अभिलेख में घांस मद में दर्ज होने के कारण आदेश दिनांक 02.01.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (3) में निहित प्रावधान के तहत् निस्तार प्रयोजन से पृथक करते हुए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित किया गया है, जिसके अनुसार तहसीलदार दुर्गूकोन्दल के द्वारा खसरा दुरूस्त कर खसरा की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतएव प्रकरण में छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमाक क्र. एफ 4-135/सात-1/2006/रायपुर, दिनांक 10.08.2006 में प्रदत्त अधिकारों के तहत् तहसीलदार दुर्गूकोन्दल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर के जांच प्रतिवेदन, अनुशंसा के आधार ग्राम गोटुलमुण्डा पटवारी हल्का नम्बर 04 तहसील दुर्गूकोन्दल में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 92 रकबा 18.27 हेक्टेयर में से 3.24 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग को शर्तों के अधीन हस्तांतरित किया जाता है :-

(1) विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा।

(2) किसी भी समय विभाग को भूमि की आवश्यकता नहीं होने पर कलेक्टर को लिखित में सूचना विभाग द्वारा दिया जावेगा।

(3) हस्तांतरित भूमि के अलावा अन्य शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।

न्यायालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

(अभिजीत सिंह)
कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर

D:/Str/Reader/Land Allotment.Doc

CamScanner

पृ. क्रमांक /35 /कले./रीडर/2024 कांकेर, दिनांक /7 /01/2024

प्रतिलिपि :–

(1) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर ।

(2) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।

(3) आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

(4) मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ।

(5) वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(6) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर की ओर सूचनार्थ ।

(7) तहसीलदार दुर्गूकोन्दल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

न्यायालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर